आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर व गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.1.19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 247/2016–17

श्री चन्द्रीका प्रसाद सिंह व परमानंद सिंह व प्रदीप कुमार सिंह व विजय कुमार सिंह व अजय कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, सभी पिता–स्व0 बैजनाथ मंडल, ग्राम–घघरी, थाना–बौसी, जिला–अररिया

बनाम

उदयानंद विश्वास व महानंद विश्वास व विपीन कुमार, सभी पिता–स्व0 सुखदेव विश्वास, ग्राम–हलहलिया, थाना–फारबिसगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक चन्द्रिका प्र0 सिंह एवं अन्य, सभी पिता–स्व0 बैजनाथ मंडल, सा0–घघरी, पो0–बौसी, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु इस न्यायालय में दाखिल किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
लहसनगंज थाना नं0 43	88/98 34/97	314 317	0.07 ए0 0.09⅔ ए0
हलहलिया थाना नं0 44	98	298	0.25½ ए0
जागीर हलहलिया थाना नं0 32	01	15	0.25

वाद प्रविष्टि के बिन्दु पर आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को दिनांक 24.05.2017 को सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा–लहसनगंज की जमाबंदी से मौजा–हलहलिया की जमीन नामान्तरण उपरांत खारिज कर दिया गया है। उनके तर्क से सहमत होते हुए वाद को विचारार्थ प्रविष्ट किया गया तथा विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षीगण अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया तथा अंचलाधिकारी, फारबिसगंज से जमाबंदी संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई, जो उनके कार्यालय पत्रांक 496, दिनांक 28.02.2018 द्वारा न्यायालय को प्राप्त है। तत्पश्चात् आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। विपक्षी द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। तत्पश्चात्

उनके दाखिल प्रतिउत्तर के आधार पर वाद को आदेशार्थ निमित किया गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हलहलिया अन्तर्गत खाता सं0 98, खेसरा सं0 729, 914, 942, 913 एवं 1014, रकवा 3.15 एकड़ भूमि का आर0 एस0 सर्वे खतियान आवेदक के पिता बैजनाथ मंडल के नाम से प्रकाशित है। जिसका राजस्व लगान रसीद उन्हें प्राप्त होता आ रहा है।

मौजा–लहसनगंज, थाना नं0 43 अन्तर्गत खाता सं0 98, खेसरा सं0 298, रकवा 25½ डी0 भूमि विपक्षीगणों को विभिन्न दस्तावेज दिनांक 04.05.1999 को विक्रेता सूर्यनारायण पाण्डेय वगैरह से प्राप्त है। जिसके दस्तावेज में मौजा–लहसनगंज नहीं दर्शाकर मौजा–हलहलिया, थाना नं0 44 दर्शाया गया। अंचल अधिकारी, फारबिसगंज द्वारा नामान्तरण वाद सं0 2327/2002–03 द्वारा आवेदक के मौजा–हलहलिया के खाता सं0 98, खेसरा सं0 298, रकवा 25½ डी0 भूमि के नामान्तरण की जो स्वीकृति दी गई है, वो गलत है। जिसे सुधार करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी के दाखिल प्रतिउत्तर के अनुसार आवेदक द्वारा जो वाद लाया गया है वह न तो तथ्य की दृष्टि से और न ही विधि की दृष्टि से पोषनीय है और वाद परिशिमन से कालबाधित है। मौजा–लहसनगंज की जमीन जिसका खाता 98 है, वह सर्वे में सूर्यनारायण पाण्डेय, लक्ष्मी पाण्डेय, पिता–जंय श्री लाल पाण्डेय वगैरह के नाम से दर्ज होकर खतियान प्रकाशित हुआ और खतियान के आधार पर दखलकार हुए, किन्तु खाता 98, खेसरा 298 की जमीन पर सर्वे के दौरान विशन मंडल दखलकार थे, इसलिये खयितान में खेसरा 298 के दखली खाना में विसन मंडल का नाम दर्ज हुआ तथा उनके नाम से सिकमी खतियान बना। उसके पश्चात् विसन मंडल के पुत्रगण ने कायमी खतियानी रैयत से खाता 98/97, खेसरा 298 की भूमि को बजरिये निबंधित केवाला द्वारा खरीद किया और जमीन का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया और नामान्तरण कराकर बिहार सरकार को लगान का भुगतान करने लगे।

आगे शिवानंद विश्वास, गौरी प्रसाद विश्वास, दोनों पिता–श्री विश्वास जब आर0एस0 खाता 1, खेसरा 15, रकवा 25 डी0 और आर0एस0 खाता 98, खेसरा 298, रकवा 12¾ डी0 चौहद्दी के साथ विपक्षीगण के हाथों दिनांक 10.06.1962 को बिक्री कर दिया और खरीदगी के पश्चात् विपक्षीगण को दखल काबिज करा दिया गया है। जिसका भी दाखिल–खारिज उपरांत जमाबंदी विपक्षीगणों के नाम से दर्ज है। इसके पश्चात् विपक्षी ने आर0एस0 खाता 98, खेसरा 298, रकवा 12¾ डी0 जमीन विद्यानंद मंडल, पिता–स्व0 विसुन लाल मंडल से केवाला द्वारा दिनांक 22.04.2002 को क्रय किया है। इस प्रकार विज्ञ अंचलाधिकारी ने केवाला के आधार पर विपक्षीगणों के नाम से सही नामान्तरण किया है। जहाँ तक निबंधित केवाला के सही एवं गलत का प्रश्न है, तो यह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। इसलिये विज्ञ अंचलाधिकारी ने जो भी नामान्तरण विपक्षीगणों के नाम से किया है, वह बिल्कुल जायज, सही वो वैद्य है। क्योंकि

नामान्तरण का मुख्य आधार कागजात एवं दखल कब्जा होता है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक के जमाबंदी रद्दीकरण मोकदमा को खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के तर्कों तथा अंचलाधिकारी, फारबिसगंज का प्रतिवेदन पत्रांक 496, दिनांक 28.02.2018 के साथ संलग्न पंजी–II के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. मौजा–लहसनगंज, थान नं0 43, खाता सं0 97 एवं 98, खेसरा 396 एवं 314, रकवा 0.09⅔ एवं 0.07, कुल 0.16⅔ का जमाबंदी सं0 236 पर श्री उदयानंद विश्वास वो महानंद विश्वास वो विपीन कुमार विश्वास, पिता–स्व0 सुखदेव विश्वास के नाम से दर्ज है।

2. मौजा–खास हलहलिया, थाना नं0 44, खाता 98, खेसरा 298, रकवा 0.12⅓ का जमाबंदी सं0 448 पर श्री उदयानंद विश्वास वो महानंद विश्वास वो विपीन कुमार विश्वास, पिता–सुकदेव विश्वास, सा0–हलहलिया के नाम से दर्ज है

3. मौजा–जागीर हलहलिया, थाना नं0 32, खाता सं0 01, खेसरा सं0 15, रकवा 25 डी0 का जमाबंदी सं0 367 श्री उदयानंद विश्वास वो महानंद विश्वास वो विपीन कुमार विश्वास, पिता–स्व0 सुकदेव विश्वास, सा0–हलहलिया के नाम से दर्ज है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को निदेशित किया जाता है कि नामान्तरण वाद सं0 2327/2002–03 में मौजा–हलहलिया, थाना नं0 44 के स्थान पर मौजा–लहसनगंज, थाना नं0 43 के खाता सं0 98, खेसरा सं0 298, रकवा 25½ डी0 का सुधार करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को अनुपालन हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 22 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 30 / 01 /2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

30.1.19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया